

## कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

### कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.07(1) शिक्षा-2/गृहमंत्री स्थानान्तरण/2018 दि. 14.09.2018 के आदेशानुसार निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	स्थानान्तरित स्थान	जाने वाले मण्डल/ जिला का नाम
1	गजानन्द मेहरा	सहायक कर्मचारी	राबामावि अचरौल	Jaipur	राआउमावि कूकस	Jaipur
2	राजेश गोस्वामी	वरिष्ठ सहायक	राबाउमावि कोटपूतली	Jaipur	राआउमावि जयरामपुरा जालसू	Jaipur
3	कैलाश चन्द सैनी	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अन्ता (बारा)	Barn	राउमावि भूरथल	Jaipur
4	राजेश झाला	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सम	Jaishlmer	राउमावि पेमापुरा कुचामन	Nagour
5	जयदेव सिंह कविया	कनिष्ठ सहायक	राआउमावि लाम्बागोटडा, चिडावा	Jhunjnu	राआउमावि नरहड चिडावा	Jhunjnu
6	तारा देवी कुमावत	सहायक कर्मचारी	राउमावि थानागाजी	Alwar	राबामावि शिकारपुरा सांगानेर	Jaipur
7	रामू मोर्य	सहायक कर्मचारी	राउमावि मथुराहेडा, कटूमर	Alwar	राउमावि आशवाला, सांगानेर	Jaipur
8	महावीर सिंह	सहायक कर्मचारी	राउमावि नीमूवाना बानसूर	Alwar	राउमावि लुनियावास, जालसू	Jaipur
9	ओम प्रकाश	प्रयोगशाला	राआउमावि रूदावल	Bhratpur	राआउमावि भुसावर, वैर	Bhratpur

उपरोक्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं है।

समस्त संस्था प्रधान/कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की अक्षरशः पालना करें :-

1. स्थानान्तरित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में ही कार्मिक को कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण करवाकर आगामी निर्देश हेतु इस कार्यालय को सूचित करें।
3. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
4. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
5. प्रोबेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

6. माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
7. स्वेच्छा से अन्तर-मण्डल/अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिको को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण/शाला दर्शन के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
9. टीएसपी से नॉन टीएसपी में यदि स्थानान्तरण हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया



(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2/मंत्रालयिक अन्तरमण्डल स्थानान्तरण/16 दिनांक :- 24.09.2018  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
3. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय।
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर